पत्र संख्या- सी०एस०-1/ए०-1-107/99 1647 /

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ।

प्रेषक,

अशोक कुमार चौहान,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव
सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 ई०

विषय- मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख एवं प्रेस नोट भेजने के संबंध मे ।

प्रसंग:- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग का पत्रांक 422 दिनांक 04.03.06 एवं पत्रांक 1301 दिनांक 21.07.06.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख भेजने तथा प्रेस नोट प्रेषित करने हेतु आदेश संसूचित किए गये थे, परन्तु संलेख भेजने की प्रक्रिया के आदेश मे निहित अनुदेश का पालन नहीं किया जा रहा है जिससे मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रक्रियागत कार्रवाई करने मे कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है । साथ ही यह स्पष्ट किया जाना है कि संलेख की प्रति सम्प्रति स्वच्छ एवं पठनीय नहीं रहती, जिससे आवश्यक कार्रवाई करने मे भी कठिनाई होती है ।

जहाँ तक प्रेस नोट प्रेषित करने की बात है, संलेख के साथ नहीं भेजे जाने से प्रेस ब्रीफिंग मे अधोहस्ताक्षरी को दिक्कतें हो रही है । आप अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा लोक हित मे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा रहे है एवं सरकार चाहती है कि आम जनता को इसकी समुचित जानकारी हो सके । प्रेस नोट की एक आत्मभारीत तथ्यात्मक विवरणी निश्चित रूप से संलेख के साथ भेजी जाय ।

अतः संलेख, पूर्व से संसूचित निदेश के अनुसार आठ दिन पूर्व या अति विशेष परिस्थिति मे तीन दिन पूर्व मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।

कृपया भविष्य में उपर्युक्त दिशा-निदेश का अनुपालन सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,

(अशोक कुमार चौहान)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।